142 कैमरामैन ग्रेड-2 नियुक्त किए गए थे। इस अवधि के दौरान 12 कैमरामैन ग्रेड-2 को कैमरामैन ग्रेड-1 में पदोन्नत किया गया था।

(ख) कैमरामैन के पद पर सभी नियुक्तियां, इन पदों के भर्ती नियमों के अनुसार की जाती हैं जो इस प्रकार है :—

अनिवार्य (1) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिनेमाटोग्राफी में डिप्लोमा या डिग्री। निम्नलिखित सस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को तरजीह दी जायेगी :—

(क) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे।

(ख) फिल्म और टेलिविजन टेक्नालोजी संस्थान, मद्रास।

सभी नियुक्तियां आवेदकों के निवास स्थान का विचार किए बिना की जाती है। प्रादेशिक आधार पर कोई अपवाद करना उपयुक्त नही होगा।

गुजरात के लिये जनजातीय उप-आयोजना परियोजना के लिये धनराशि का आवंटन

3032. श्री छीतुभाई गामित : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में मांडवीसोनगढ और वासंदा जनजातीय उप-आयोजना परियोजना के लिये मार्च, 1978 तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) अब तक कितना व्यय हुआ है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आदिवासी कृषि श्रमिकों और आदिवासियों में सबसे पिछडी जातियों के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिये और उन्हें पूर्ण रोजगार प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में विदेशी नाम

3033. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों और सड़कों के नाम अभी भी विदेशियों के नामों पर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके नाम बदलने और यहां पर जेलों में बन्दी स्वतन्त्रता सेनानियों के नामों पर उनका नाम रखने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों मे कुछ द्वीपों के नाम विदेशियों के नामो पर है। तथापि, ऐसे नाम की कोई सडक नही है।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

Two Stage Fare of D.T.C.

3034. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be please to state:

(a) the principles followed in determining the present two-stage fare of 30 paise and 60 paise for D.T.C. buses;